न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिमडेगा
छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 71
एवं के अन्तर्गत ।

एस० ए० आर० वाद सं०- 3/2009-10

§1§ श्री कुमोद लकड़ा §
§2§ " सुबोध लकड़ा § आवेदक
§
बनाम
§1§ श्री बासुदेव चौधरी §
§2§ " उमेश प्रसाद चौधरी § विपक्षी
§

आदेश

यह वाद आवेदक गण §1§ श्री कुमोद लकड़ा वो §2§ सुबोध लकड़ा, दोनों के पिता स्व० बेन्जामिन उराँव, ग्राम-सिमडेगा घोघोटोली थाना वो जिला-सिमडेगा के आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया । आवेदक गण ने अपने आवेदन द्वारा सूचित किया है कि वे अनुसूचित जन जाति के सदस्य है और विपक्षी श्री बासुदेव चौधरी, पिता स्व०- द्वारिका चौधरी, §2§ उमेश प्रसाद चौधरी, पिता श्री बासुदेव चौधरी, ग्राम-सिमडेगा नीचे बाजार, थाना वो जिला-सिमडेगा उनकी निम्नांकित भूमि को बिना उपायुक्त की अनुमति के वर्ष 1963 ई० से अवैध रूप से मकान बनाकरकब्जा किए हुए है ।

भूमि का विवरण

ग्राम + थाना नं०	थाना	खाता	प्लॉट	रकबा
सिमडेगा 116	सिमडेगा	75	569	ए०-0.17 डि० में से ए०-04-1/4 डि०

कुल रकबा §शब्दों में§ सवा चार डिसमिल मात्र ।

आवेदक गण ने उक्त भूमि को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 71ए0 के अन्तर्गत वापस दिलाने की मांग की है ।

वाद प्रारम्भ कर आम सूचना निर्गत की गई एवं अंचल अधिकारी, सिमडेगा से प्रतिवेदन की मांग की गई । आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है । अंचल अधिकारी, सिमडेगा ने अपने पत्रांक 508§11§, दिनांक 26-6-09 द्वारा जाँच प्रतिवेदन भेजा है । उक्त प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि के खतियानी रैयत पौलुस उराँव वो जुलाफ उराँव, पेशरान मंगल उराँव, वो सीमन उराँव, वो फीलमोन उराँव, पेशरान मनमसी उराँव, वो कुंवर उराँव वो ऐजुब उराँव, वो जुलफ उराँव, पेशरान मसी प्रकाश उराँव थे । आवेदक गण खतियानी रैयत पौलुस उराँव के पोता है । उक्त भूमि के रकबा ए0-0.04-1/4 डि0 को आवेदक गण के पिता ने सादा कागज द्वारा दिनांक 15-4-63 ई0 को रू0. 85=00 में विपक्षी गण को बिक्री कर दिया था । विपक्षी गण का ए0-0.04-1/4 डि0 भूमि पर कब्जा है । प्रतिवेदनानुसार स्थानीय जाँच में बतलाया गया कि प्रश्नगत भूमि में वर्ष 1963 ई0 में कच्चा मकान निर्मित था । तथा वर्ष 2008 में ए0-0.01-1/2 डि0 भूमि पर पक्का ईंट एस्बेस्टस छत का मकान एवं चहार दीवारी निर्माण कर रह रहे है । उक्त जमीन पर कुंआ नहीं है । पंजी II में आवेदक कुमोद उराँव वगैरह का नाम दर्ज है ।

विपक्षी । §एक§ द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक आवेदन देकर कहा कि इस वाद में उन्हे भी पक्षकार बनाया गया है उन्होनें लिखा है कि वे काफी वृद्ध हो गए है इस लिए उक्त मकान अपने बेटा उमेश प्रसाद चौधरी के हिस्से में दे दिया और उस पर उसका §उमेश प्रसाद चौधरी§ का ही अधिकार एवं स्वामित्व है ।

कार्यालय अनुमंडल पदाधिकारी सिमडेगा

COURT FEE INDIA TWO RUPEES

विपक्षी गण के विद्वान अधिवक्ता ने अपने जवाब में कहा है कि उनके मुवक्किल ने इस वाद के आवेदक गण के पिता से लगभग 46 वर्ष पूर्व सादा कागज से प्रश्नगत भूमि को क्रय कर भूमि के मालिक की सहमति से मकान बनाया है । इस लिए भूमि से बेदखल करना उचित नहीं होगा । उनके पास अन्य कोई मकान नहीं है । विपक्षी गण आवेदक गण को प्रशनंगत भूमि के बदले आवेदक गण के विद्वान अधिवक्ता ने अपने सहमति में कहा है कि आवेदक गण के स्व0 पिता ने विपक्षी गण को उक्त भूमि रहने-बसने के लिए आपसी सहमति से सादा कागज से रू0 85=00 प्राप्त कर बिक्री कर दिया था । आवेदक गण का अनुरोध है कि इस वाद में प्रश्नगत जमीन को वापस दिलवाने के बदले उचित मुआवजा दिलवाया जाय । वे अपनी इच्छा और बिना किसी दबाव के विपक्षी से मुआवजा चाहते है ।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता ने अपने मन्तब्य में कहा है कि इस वाद में यदि मुआवजा का भुगतान किया जाय तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है । उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के जवाब एवं सरकारी अधिवक्ता के मन्तब्य तथा आवेदक गण के आवेदन को देखा । आवेदक गण का कहना है कि जमीन की वापसी के बदले जमीन का उचित मुआवजा दिलाया जाय, क्योंकि उनके स्व0 पिता द्वारा विपक्षी गण को सादा कागज से प्रश्नगत जमीन को बेच दिया गया था और विपक्षी गण लम्बे समय से उक्त जमीन पर मकान बनाये है, ऐसी स्थिति में उन्हें बेदखल करना उचित प्रतीत नहीं होता है और वे स्वेच्छा एवं बिना किसी दबाव के भूमि का मुआवजा प्राप्त करना चाहते है।

अतः इस वाद के आवेदक गण श्री कुमोद लकड़ा वो श्री सुबोध लकड़ा और विपक्षी श्री उमेश प्रसाद चौधरी, पिता श्री बासुदेव चौधरी की आपसी सहमति एवं दाखिल कागजात के आधार पर प्रश्नगत भूमि का आवेदकगण को विपक्षी द्वारा मुआवजा का भुगतान किए जाने पर विपक्षी का उक्त भूमि पर दखल संम्पुष्ट करने का निर्णय लिया जाता है ताकि बाद में किसी भी तरह का वाद विवाद एवं शांति भंग होने की संभावना न रहे। प्रश्नगत भूमि साकिन सिमडेगा धोबोटोली, थाना नं0- 116, थाना- सिमडेगा स्थित खाता नं0- 75, प्लॉट नं0- 569, रकबा ए0-0.04-$\frac{1}{2}$ डि0 है जिसका चौहदी :-

कार्यालय अनुमंडल पदाधिकारी सिमडेगा

प्रतिलिपि कर्ता — प्रतिलिपिक

तुलना कर्ता — तुलनाकलिक

उत्तर- इसी प्लॉट का अंश, दक्षिण- इसी प्लॉट का अंश, पूरब- प्लॉट नं0- 571 रास्ता एवं (मकान सहन विश्राम उराँव) पश्चिम- कच्ची रास्ता है। उक्त भूमि का वर्तमान मूल्य 11,550=00 प्रति डिसमिल के दर से कुल रू0. 49,225=00 (उनचास हजार दो सौ-पच्चीस) मात्र होता है।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 71 ए0 के अन्तर्गत विपक्षी श्री उमेश प्रसाद चौधरी, पिता श्री वासुदेव चौधरी ग्राम-घोचोटोली, थाना वो जिला-सिमडेगा को आदेश दिया जाता है कि आदेश पारित होने के पन्द्रह दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष सरकारी अधिवक्ता के पहचान और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की उपस्थिति में उपरोक्त राशि का भुगतान आवेदक गण श्री कुमोद लकड़ा वो श्री सुबोध लकड़ा को करें। तत्पश्चात वाद की भूमि पर विपक्षी का हक-दखल सम्पुष्ट किया जाएगा।

लेखापित एवं संशोधित

10/7/9

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सिमडेगा।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सिमडेगा।

कार्यालय अनुमंडल पदाधिकारी
सिमडेगा

प्रतिलिपि कक्ष
प्रतिलिपिक

तुलना कक्ष
517
तुलना लिपिक

उभय पक्ष उपस्थित हैं। ~~[struck]~~

सरकारी एवं आवेदक गण के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हैं। एल० ए० आर० वाद सं०- 3/09-10 में, अधोहस्ताक्षरी ~~[struck]~~ द्वारा पारित आदेश के आलोक में विपक्षी श्री उमेश प्रसाद चौधरी, पिता श्री वासुदेव चौधरी, साकिन सिमडेगा नीचे बाजार, थाना व जिला सिमडेगा द्वारा, थाना नं० 116, थाना सिमडेगा स्थित खाता सं०-75, प्लॉट सं०-569, रकबा ए०-0.04¼ डि० जमीन के बदले मुआवजा राशि रु० 49,225=00 (उनचास हजार दो सौ पच्चीस) रुपये आवेदक गण श्री प्रमोद लकड़ा वो सुबोध लकड़ा, पिता स्व० बेन्जामिन लकड़ा ग्राम सिमडेगा घोचो टोली, थाना व जिला सिमडेगा को सरकारी अधिवक्ता के पहचान पर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नगद भुगतान किया गया जो अभिलेख में दर्ज है।

अतः मौजा सिमडेगा घोचो टोली के खाता नं० 75, प्लॉट सं०- 569, रकबा ए०-0.04¼ डि० जमीन को विपक्षी श्री उमेश प्रसाद चौधरी, पिता श्री वासुदेव चौधरी, साकिन सिमडेगा नीचे बाजार, थाना व जिला सिमडेगा के नाम से दखल-दाखिल खारिज किया जाता है। अंचल अधिकारी, सिमडेगा रजिस्टर पंजी में आवश्यक सुधार करें।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्ता, सिमडेगा।

[signature] 11/7/9

भूमि सुधार उप समाहर्ता, सिमडेगा।

मुआवजा की राशि 49225 रु० हम दोनों भाई प्राप्त किये। सुबोध लकड़ा 11/7/09

Signature of Kumod Lakra and Subodh Lakra identified by me. [signature] Advocate

मुआवजा राशि 49225/- रुपया का भुगतान विपक्षी उमेश प्रसाद चौधरी ने आवेदक सुबोध लकड़ा एवं कुमोद लकड़ा को मेरे समक्ष भुगतान किया। [signature] G.P. Simdega

COURT FEE 2 INDIA TWO RUPEES

कार्यालय अनुमंडल पदाधिकारी सिमडेगा

प्रतिलिपिक ... तिलिपिक ... 517

कार्यालय अनुमंडल पदाधिकारी

सिमडेगा

7-5 ...

12 ...

15/7/08

प्रधान सहायक

[illegible]

[illegible]

मसीह प्रकाश उरांव

संतोष लकड़ा
१५-४-६३

विमल उरांव
१५-४-६३

[illegible] १२.४.६३